"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 मई 2026 — वैशाख 15, शक 1948

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मई 2026

अधिसूचना

File No. GENS-2302/7/2025-FOOD-Part(1). — राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार हेतु ''छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026'' अधिसूचित करता है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभोर अग्रवाल, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 की विषय सूची

क्र.	विवरण
1	पृष्ठभूमि
2	उद्देश्य
3	शीर्षक और लागू होने की तिथि
4	परिभाषाएं
5	प्रयोज्यता
6	पात्रता मापदंड
7	प्राधिकृत इकाई के द्वारा आवेदन
8	प्राधिकृत इकाई के दायित्व
9	नगरीय एवं आवासीय नियोजन में सीजीडी नेटवर्क का प्रावधान
10	सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा संबंधी उपाय
11	नीति के क्रियान्वयन हेतु सीजीडी नेटवर्क कार्यान्वयन हेतु निगरानी समिति एवं टास्क फोर्स
12	विवाद समाधान
13	परिशिष्ट -1
14	परिशिष्ट -2

1. पृष्ठभूमि -

1.1 राज्य में बढ़ती हुई उर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ईंधन में स्वच्छ उर्जा स्त्रोतों की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक उर्जा संबंधी आवश्यकताओं की सतत् पूर्ति हेतु दीर्घकालीन उर्जा स्त्रोंतो के लिए ईंधन के साधनों का विविधिकरण आवश्यक है ।

1.2 भारत सरकार ने ईंधन उपयोग में प्राकृतिक गैस की मात्रा में वृद्धि हेतु 2030 तक देश की प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006 तथा प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के जरिये) आदेश 2026 अधिसूचित किया है, जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

1.3 सिटी गैस वितरण परियोजना घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग तथा परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, यह उद्योगों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी ।

1.4 सिटी गैस वितरण परियोजना के विकास का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन (PNG) और स्वच्छ परिवहन ईंधन (CNG) की उपलब्धता में वृद्धि करना है।

2. उद्देश्य -

राज्य सरकार जनहित में एक ऐसा ढांचा और नीति जरुरी समझती है जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने में रुकावट डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए हो, जिसमें जमीन तक पहुँचना से मना करना, स्वीकृति में देरी, रास्ते का अधिकार या जमीन पर मार्ग का अधिकार देने में देरी, अत्यधिक शुल्क अथवा चार्जेस शामिल हैं. इस नीति अंतर्गत मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है-

2.1 राज्य में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना की प्रक्रिया को सुगम, सरल और विनियमित करना।

2.2 ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शासकीय/ अर्धशासकीय और निजी स्वामित्व की भूमि पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना करने वाले प्राधिकृत इकाई द्वारा मांग करने पर अनुमति प्रदान करने की सरल और पारदर्शी प्रक्रिया लागू करना ।

2.3 सभी प्रकार के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना हेतु आवेदन देने पर निर्धारित समय-सीमा में अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को लागू करना ।

2.4 राज्य के दूरस्थ, पहाड़ी और पूर्व में LWE प्रभावित रहें क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विकास को प्रोत्साहित करना ।

2.5 राज्य में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना करना।

2.6 उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की प्रदायगी सुनिश्चित करना जहाँ वह मौजूद नहीं हैं ।

2.7 मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित शहरों और गांवों के नियोजन क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों के लिए भूमि/भूखंडों का सीमांकन ।

2.8 स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सड़क के रेस्टोरेशन और समयबद्ध अनुमति के लिए मानक अनुमति शुल्क निर्धारित करना ।

2.9 आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के वास्तुशिल्प डिजाइन में गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे को शामिल करना ।

2.10 सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कॉलोनियों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रावधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश जारी करना।

3. शीर्षक और लागू होने की तिथि:-

3.1 इसे **"छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026"** कहा जाएगा ।

3.2 यह नीति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

4. परिभाषाएं:-

4.1

(क) **"आदेश 2026"** से अभिप्रेत है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के जरिये) आदेश, 2026

(ख) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार।

(ग) **''नामित अधिकारी''** से अभिप्रेत है,

(i) ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जो नगर निगम अथवा नगरीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, या ऐसा व्यक्ति जिसे जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस नीति के अंतर्गत नामित अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया हो,

(ii) नगर निगम अथवा नगरीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्रों के संबंध में, नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जिसे जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस नीति के अंतर्गत नामित अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया हो,

(घ) **"प्राधिकृत इकाई"** से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति-

(i) जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) के अधीन केन्द्रीय सरकार दवारा प्राधिकृत, अनुमोदित या अनुज्ञप्ति प्राप्त हो,

(ii) जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछा रहा है, निर्माण कर रहा है, संचालन कर रहा है या विस्तार कर रहा है,

(iii) जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् PNGRB कहा गया है) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन कॉमन कैरियर या संविदा कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या सिटी गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, चलाने या बढ़ाने के लिए प्राधिकृत किया हो, या

(iv) जिसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के जरिये) आदेश, 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात "आदेश 2026" कहा गया है) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है।

(ङ) **"खुदाई और भुगतान के आधार"** का वही अर्थ होगा जो आदेश 2026 के खंड 4 के उपखंड (15) में यथा उपबंधित है,

(च) **"खुदाई और पुर्नस्थापना के आधार"** का वही अर्थ होगा जो आदेश 2026 के खंड 4 के उपखंड (15) में यथा उपबंधित है;

(छ) **"वाहिनी"** से एक पाइप, स्थायी रूप से चिकनाई युक्त या किसी अन्य प्रकार का, जिसका उपयोग पाइपलाइन के लिए भूमिगत केबल नाली के रूप में किया जाता है, अभिप्रेत है;

(ज) **"आवास क्षेत्र"** से वह सार्वजनिक क्षेत्र या गैर-सार्वजनिक क्षेत्र, जहां आवासीय फ्लैट या बंगले विकसित किए गए हैं या विकसित किए जा रहे हैं, अभिप्रेत है;

(झ) **"निजी क्षेत्र"** से अचल संपत्ति या क्षेत्र अभिप्रेत है जो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है और इसमें किसी गैर-सार्वजनिक इकाई, निवासी कल्याण संघ या समूह आवास सोसायटी के स्वामित्व या प्रबंधन वाला कोई भी आवासीय क्षेत्र शामिल है;

(ञ) **"ओवरग्राउंड पाइपलाइन"** से पाइपलाइन या पाइपलाइनों, उपकरणों और उनसे संबंधित सुविधाओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है जो जमीन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित की जाती हैं, जिसमें दबाव में परिवर्तन के लिए आवश्यक पाइपलाइन सहित किसी भी पाइपलाइन से जुड़ी सुविधाएं और स्थापनाएं शामिल हैं, जिनमें पाइपलाइन या कोई अन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं, अभिप्रेत है;

(ट) **'अन्य सुविधाओं'** 'से किसी भी ऐसी सुविधा या स्थापना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है-

(i) पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस का भंडारण या तरलीकृत प्राकृतिक गैस का पुनर्गैसीकरण;

(ii) संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भंडारण;

(iii) संपीड़ित प्राकृतिक गैस वितरण,

(iv) संपीडित प्राकृतिक गैस को डी-कम्प्रेस करना और प्राकृतिक गैस का वितरण करना; या

(v) प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पाद बांटने के लिए ज़रूरी कोई अन्य सुविधा करना या लगाना।

(ठ) **"अनुमति"** से किसी पाइपलाइन या ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन या उनसे किसी संबद्ध सुविधा को बिछाने, संचालन, रखरखाव या विस्तार के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अनुमति अभिप्रेत है;

(ड) **"पाइपलाइन"** से किसी पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवर्क या पाइपलाइन के किसी घटक या उससे संबंधित सुविधाएं अभिप्रेत है जिसका उपयोग एक या एक से अधिक परिसरों में प्राकृतिक गैस या पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन, वितरण या आपूर्ति के लिए किया जाता है और इसमें ओवरग्राउंड पाइपलाइन और भूमिगत पाइपलाइन शामिल हैं;

(ढ) सार्वजनिक इकाई-

(i) केन्द्रीय सरकार,

(ii) राज्य सरकारें,

(iii) शहरी प्राधिकरण,

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके नियंत्रण में अथवा किसी विधि के अधीन निगमित या स्थापित कोई प्राधिकरण, निकाय, कंपनी, एजेंसी या संस्थान,

(v) जिला प्रशासन, गाँव का प्रशासन या कोई ऑफिस या संगठन जिसे किसी इलाके में जमीन के विकास या इस्तेमाल को विनियमित करने का अधिकार मिला हो; या

(vi) कोई गैर-सार्वजनिक इकाई जिसमें किसी सार्वजनिक सुविधा या सार्वजनिक सुविधाओं के वर्ग का स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन निहित हो, अभिप्रेत है,

(ण) **"सार्वजनिक क्षेत्र"** से कोई अचल संपति या क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी सार्वजनिक संस्था के स्वामित्व में हो, उसके कब्जे में हो या उसके प्रबंधन के नियंत्रण में हो;

(त) **"अनुसूची"** से आदेश 2026 के साथ संलग्न अनुसूचियों अभिप्रेत है;

(थ) **"भूमिगत पाइपलाइन"** से पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवर्क के हिस्से उपकरण और उनसे संबंधित सुविधाएं, जिसमें परिवहन के लिए पाइपलाइन की स्थापना या रखरखाव के प्रयोजन के लिए जमीन के नीचे स्थापित तरलीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, के भंडारण के लिए कोई सुविधा या सामान्य नलिकाएं या नलिका या केबल गलियारे, मार्कर, भूमिगत पाइपलाइन शामिल है, अभिप्रेत है;

(द) **"शहरी प्राधिकरण"** से नगर निगमों, नगर परिषदों, विकास प्राधिकरणों सहित उन प्राधिकरणों से अभिप्रेत है जिनके पास सार्वजनिक भूमि या सड़कें हैं, जिन तक प्राधिकृत इकाइयों द्वारा पहुँच की आवश्यकता होती है।

4.2 उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30), तेलक्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) या इनके अधीन बनाये गये नियम या विनियम, पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का रखरखाव) आदेश 1999, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने,

निर्माण, संचालन और विस्तार के जरिये) आदेश, 2026 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश में है।

5. प्रयोज्यता:-

5.1 प्रत्येक **नामित अधिकारी** द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।

5.2 **नामित अधिकारी** अपने कार्य क्षेत्र के लिए आवेदक द्वारा भूमिगत या भूमि के उपर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना और रख-रखाव के लिए आवेदन करने पर इन नीति के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5.3 इन नियमों के अंतर्गत दी गई कोई भी अनुमति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन आदेश के तहत जारी किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी।

5.4 इस नीति के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग होगा।

5.5 उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक नियम, व्याख्या, स्पष्टीकरण और निर्देश जारी किये जायेंगे।

5.6 नीति में उल्लेखित **नामित अधिकारी** अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और उससे जुडी सुविधाओं की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे/ उसकी जांच करेंगे।

5.6.1 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवर्क को बिछाना, निर्माण, संचालन और विस्तार ;

5.6.2 पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस का भंडारण या तरलीकृत प्राकृतिक गैस का पुनर्गैसीकरण ;

5.6.3 संपीडित प्राकृतिक गैस का भंडारण;

5.6.4 संपीडित प्राकृतिक गैस का वितरण ;

5.6.5 संपीडित प्राकृतिक गैस को डी-कम्प्रेस करना और प्राकृतिक गैस का वितरण करना या

5.6.6 प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पाद बांटने के लिए जरुरी कोई अन्य सुविधा करना या लगाना

6. पात्रता मापदंडः-

6.1 कोई भी आवेदक जिसके पास भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा जारी पेट्रोलियम अधिनियम 1930 के अधीन अनुमति अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त है अथवा आदेश 2026 अंतर्गत प्राधिकृत इकाई है, वह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

6.2. मार्ग के अधिकार ("राईट ऑफ़ वे") की अनुमति प्राधिकृत इकाई की अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि तक मान्य होगी ।

6.3 प्राधिकृत इकाई, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय से प्राप्त अनुमति अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों, प्रावधानों और पात्रता की सीमा में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मार्ग के अधिकार ("राईट ऑफ़ वे") प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

7. प्राधिकृत इकाई के द्वारा आवेदनः-

7.1 प्राधिकृत इकाई के द्वारा किसी भी स्थान पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या उससे जुड़ी सुविधाएं स्थापित करने हेतु व्यक्तिशः प्रस्तुत अथवा पंजीकृत डाक अथवा ई-मेल अथवा एकल खिड़की प्रणाली का उपयोग करते हुए एक आवेदन करना होगा ।

7.2 प्राधिकृत इकाई के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो आवासीय क्षेत्र नहीं है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं उससे जुड़ी सुविधाओं को स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत आदेश 2026 के खण्ड-4 के अंतर्गत निहित कार्यवाही करनी होगी ।

7.3 प्राधिकृत इकाई के द्वारा आवासीय क्षेत्र में, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं उससे जुड़ी सुविधाओं को स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत आदेश 2026 के खण्ड-5 के अंतर्गत निहित कार्यवाही करनी होगी ।

7.4 प्राधिकृत इकाई के द्वारा गैर सार्वजनिक क्षेत्र में, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं उससे जुड़ी सुविधाओं को स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत आदेश 2026 के खण्ड-6 के अंतर्गत निहित कार्यवाही करनी होगी ।

7.5 ROU अनुमति- पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु ROW एवं ROU अनुमति, रोड के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस नीति के परिशिष्ट एक एवं दो में उल्लेखित प्रक्रिया, समय-सीमा एवं निर्धारित प्रभार राशि के अनुसार जारी की जायेगी।

7.6 प्राधिकृत इकाई, किसी भी परिस्थिति में किसी सड़क एवं किसी भी सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान नहीं पहुचायेगा। यदि कोई नुकसान होता है तो उसे प्राधिकृत इकाई द्वारा पुनर्निर्माण कराया जायेगा एवं परिशिष्ट दो के भाग दो में उल्लेखित दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

7.7 प्राधिकृत इकाई द्वारा अपेक्षित अनुमतियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा एवं निर्धारित प्रभार राशि इस नीति के परिशिष्ट एक एवं दो के अनुसार होंगे ।

7.8 प्राधिकृत इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे:-

7.8.1 पीएनजीआरबी का प्राधिकरण पत्र ।

7.8.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ।

7.8.3 पाइपलाइन की लंबाई और सड़क के नाम/प्रकार के विवरण के साथ प्लानिमेट्री ड्राईंग/रूट मैप।

7.8.4 पाइपलाइन विवरण, आकार, मोटाई, डिज़ाइन आदि ।

7.8.5 पाइपलाइन बिछाने की पद्धति अर्थात ओपन ट्रेंचिंग या ट्रेंचलेस पद्धति।

7.8.6 रेस्टोरेशन के उद्देश्य से एस्टीमेट तैयार करने के लिए सड़क के विभिन्न खंडों में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन की लंबाई, जैसे (कैरिज़ वे, हार्ड शोल्डर, सॉफ्ट शोल्डर और मिट्टी की सतह आदि में बिछाई जाने वाली लंबाई) ।

7.9 अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया -

प्राधिकृत इकाई द्वारा निम्नलिखित तरीके से आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा –

(i) सार्वजनिक इकाई के कार्यालय में प्राधिकृत इकाई के अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्ति की पुष्टि के साथ,

(ii) पंजीकृत डाक द्वारा,

(iii) ईमेल द्वारा,

(iv) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से ।

7.10 मानित स्वीकृति -

7.10.1 मानी गई स्वीकृति - पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु ROW एवं ROU अनुमति एवं उससे सम्बद्ध विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां इस नीति के परिशिष्ट एक एवं दो में निर्धारित की गयी समयावधि के अंतर्गत नामित अधिकारी द्वारा दिया जाएगा. जब कोई नामित अधिकारी निर्धारित समयावधि में स्वीकृति देने में विफल होता है तो उसके द्वारा अनुमति दी गई, मानी

जायेगी एवं इस नीति के परिशिष्ट एक एवं दो अनुसार प्राधिकृत इकाई द्वारा तत्पश्चात शुल्क का भुगतान किया जायेगा एवं कार्यों के निष्पादन के साथ आगे बढ़ा जाएगा.

7.10.2 उपरोक्तानुसार प्रकरणों में जहाँ स्वीकृति मानित स्वीकृति अथवा मंजूर मान ली गई है स्वीकृति की श्रेणी में है वहाँ प्राधिकृत इकाई के द्वारा दो स्थानीय समाचार पत्रों में जिन्हें व्यापक प्रसार वाला समाचार पत्र कहा जा सकता है ऐसे हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र अथवा अपनी वेबसाइट पर इस आशय की एक जनसूचना प्रकाशित की जायेगी कि मंजूरी मान ली गई है तथा इस संदर्भ में प्राधिकृत इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से आवेदन करने की तारीख एवं मानित स्वीकृति की तारीख का उल्लेख करते हुए एक कॉपी रजिस्टर्ड डाक से एवं एक कॉपी ई-मेल से नामित अधिकारी को भेजा जाएगा.

7.10.3 जब कभी नामित अधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकृत करता है तो वह अस्वीकृति के कारणों का लेख करेगा एवं सम्बंधित प्राधिकृत इकाई को इसे स्पष्ट रूप से सूचित करेगा. प्राधिकृत इकाई को नामित अधिकारी द्वारा तत्पश्चात सूचना का जवाब देने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाएगा जिसके पश्चात 7 दिवस के अवसान के पश्चात ही नामित अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिया जायेगा. किसी भी आवेदन को जहाँ कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, को किसी भी स्थिति में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अधोसंरचना निर्माण हेतु अस्वीकार नहीं किया जाएगा.

7.11 सिंगल विंडो सिस्टम -

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सीजीडी अधोसंरचना के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड पोर्टल विकसित करेगा। सिंगल विंडो ऑनलाईन पोर्टल इस नीति की अधिसूचना जारी होने के 02 माह की समय-सीमा के अंतर्गत विकसित किया जायेगा।

8. प्राधिकृत इकाई के दायित्व:-

8.1 प्राधिकृत इकाई PNGRB की शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क विकसित करेगी। प्राधिकृत इकाई द्वारा पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मिलने के पश्चात निर्धारित 4 माह की समय-सीमा में इसे बिछाने में असफल रहने की स्थिति में आदेश 2026 के खण्ड 8 के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित शास्ति हेतु उत्तरदायी होगी ।

8.2 प्राधिकृत इकाई पीएनजी और सीएनजी के लाभों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों का पंजीकरण करने के लिए मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से प्रचार अभियान चलाएगी ।

8.3 प्राधिकृत इकाई अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों की ऑनलाइन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा, संस्थाएं सार्वजनिक हित में विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

8.4 प्राधिकृत इकाई अपने सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर सीएनजी ग्राहकों को जागरूक करेंगी कि वे अपने वाहनों में केवल सरकारी अधिकृत रेट्रो-फिटमेंट केंद्रों के माध्यम से फिट किए गए मानक सीएनजी किट का उपयोग करें ।

8.5 प्राधिकृत इकाई वार्षिक आधार पर प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) चलायेंगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वार्षिक कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

8.6 प्राधिकृत इकाई प्रदेश के जिलों में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को सीएनजी से चलाने हेतु जागरूकता को बढ़ावा देंगी ।

8.7 प्राधिकृत इकाई द्वारा घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी और सीएनजी के उपयोग के प्रति जागरूक किया जावेगा ।

8.8 प्राधिकृत इकाई सीजीडी नेटवर्क का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगी ।

9. नगरीय एवं आवासीय नियोजन में सीजीडी नेटवर्क का प्रावधान:-

9.1 राज्य के विकास प्राधिकरण अपने शहर/नगर मास्टर प्लान तैयार करते समय सीजीडी नेटवर्क के प्रावधान और सीएनजी स्टेशनों के प्रावधान को अनिवार्य रूप से शामिल करेंगे। प्राधिकृत इकाई इसके लिए अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगी और इस उद्देश्य के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी।

9.2 नगरीय स्थानीय निकाय सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय अन्य उपयोगिताओं के साथ-साथ गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के प्रावधानों को भी शामिल किया जायेगा ।

9.3 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, आवास विभाग आदि योजना अनुमोदन के चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए

उपनियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं सभी शासकीय आवास, गेस्ट हाउस और कार्यालय भवनों में पीएनजी कनेक्टिविटी के प्रावधान सुनिश्चित करेंगे ।

10. सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा संबंधी उपाय -

10.1 छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जिले हेतु जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। जिला प्राधिकारी अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में प्राधिकृत इकाई के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के अनुसार गैस पाइपलाइन रिसाव/क्षति के मामले में भविष्य में किसी भी घटना से निपटने के लिए वार्षिक रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। सभी संबंधित विभागों को इस मॉक ड्रिल में भाग लेना अनिवार्य होगा ।

10.2 किसी सड़क पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित होने के बाद बिछाई जाने वाली अन्य सभी उपयोगिताओं को सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप, आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ गैस पाइपलाइन से सुरक्षित दूरी पर बिछाया जाएगा। यदि, गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले ही अन्य उपयोगिताएँ मौजूद हैं, तो प्राधिकृत इकाई, मानदंडों के अनुरूप, आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ, पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के साथ गैस पाइपलाइन बिछाएगी ।

10.3 यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति/संस्था गैस पाइपलाइन/प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाती है, तो पुलिस प्राधिकृत इकाई की लिखित शिकायत के आधार पर, गैस पाइपलाइन और उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक अधिनियमों के तहत तत्काल प्रकरण दर्ज करेगी ।

10.4 गैस पाइपलाइन रिसाव/क्षति होने की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन वाहनों का दर्जा दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच सकें ।

10.5 प्राधिकृत इकाई सभी गैस पाइपलाइन मार्गों पर सरकारी सुरक्षा नियमों/मानदंडों के अनुसार गैस पाइपलाइन मार्कर लगाएगी और इसका वार्षिक रखरखाव करेगी ।

10.6 प्राधिकृत इकाई गैस पाइपलाइन नेटवर्क से संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सभी स्थानीय अधिकारियों और उपयोगिता प्रदाताओं के साथ नियमित अवधि में सुरक्षा जागरूकता शिविर/समाचार पत्र अभियान चलाएगी ।

10.7 प्राधिकृत इकाई परिचालन अवधि के दौरान या रखरखाव के दौरान सड़कों के किनारे गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय करेगी। इसी प्रकार, उन्हें नदी या नहर की संरचना पार करने की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय करेगी।

10.8 गैस पाइपलाइन से लीकेज होने से दुर्घटना की संभावना होने के कारण प्राधिकृत इकाई द्वारा विहित प्रावधान अनुसार थर्ड पार्टी इंश्योरेस एवं लोक दायित्व बीमा (पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस) कराया जाना आवश्यक होगा ।

10.9 सीजीएस/डीसीयू/एलएनजी हब को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा ।

10.10 सीएनजी मोबाइल कैस्केड वाहक वाहन को सार्वजनिक उपयोगिता वाहन माना जाएगा।

11. नीति के क्रियान्वयन हेतु निगरानी समिति एवं टास्क फोर्स -

11.1 राज्य स्तरीय निगरानी समिति -

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जावेगा, जो सीजीडी नेटवर्क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाएगी; सीजीडी बुनियादी ढांचे और इससे संबद्ध मूल्य वर्धित सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनायेगी और उपयुक्त तंत्र की स्थापना और नीतियों के माध्यम से कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) को प्रोत्साहित करेगी।

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	भारसाधक सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
3	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4	भारसाधक सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6	भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
7	भारसाधक सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
8	भारसाधक सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	नोडल अधिकारी
9	आयुक्त /संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
10	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
11	आयुक्त/संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य सचिव
12	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड	सदस्य
13	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO) के प्रतिनिधि	सदस्य
15	सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि	सदस्य
16	प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के नोडल अधिकारी एवं सदस्य सचिव राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभागों /मंत्रालयों के साथ सभी आवश्यक समन्वय करेंगे।

राज्य स्तरीय समिति के महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार होंगेः

(i) छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में विभिन्न सरकारी पहलों के साथ समन्वय करते हुये सीजीडी बुनियादी ढांचे का विकास।

(ii) सिटी बसों, ऑटो-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन वाहनों और लंबी दूरी की बसों को सीएनजी में परिवर्तित करके पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(iii) औद्योगिक और वाणिज्यिक सहित सभी वर्गों के उपभोक्ताओं द्वारा पसंदीदा ईंधन के रूप में पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना ।

(iv) सुरक्षित सीजीडी संचालन और सुरक्षित संचालन से संबंधित सभी इंटरफेस से संबंधित मुद्दों और आपातकालीन प्रबंधन से उत्पन्न मुद्दों का छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय करना।

(v) भूमि आबंटन, उपयोगिता और बुनियादी ढांचे की स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए, दूरसंचार, बिजली, पानी इत्यादि जैसे अन्य उपयोगिता कार्यक्रमों के अनुरूप सीजीडी व्यवसाय शुरू करने में कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) सुनिश्चित करना।

(vi) नीति के उद्देश्यों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय करना।

(vii) आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में भवनों की वास्तुशिल्पीय डिजाईन के स्तर पर ही भवन योजना नियमों में उपयुक्त संशोधन करते हुये गैस पाइपलाइन अधोसंरचना का प्रावधान कर भवन निर्माण के अंत तक भवन के "गैस इन" की तैयारी सुनिश्चित करना।

(viii) सीएनजी स्टेशन की स्थापना हेतु जिला विनियमन प्रणाली (डीआरएस) और दबाव विनियमन प्रणाली (पीआरएस) के लिये उपयुक्त शासकीय भूमि का आवंटन/भूमि को सुरक्षित करने के लिये उपयुक्त नीति दिशा निर्देश/ढांचा विकसित करना।

11.2 राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स –

सीजीडी अधोसरंचना निर्माण, योजना के क्रियान्वयन की प्रगति तथा अंतर्विभागीय समस्याओं के समयबद्ध निराकरण एवं राज्य स्तरीय समिति को सुझाव देने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जावे:-

1	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	संयुक्त सचिव परिवहन विभाग	सदस्य
4	संयुक्त सचिव लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
6	संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
8	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
9	सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य खाद्य आयोग	सदस्य सचिव
10	प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य
11	राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग	सदस्य

राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स द्वारा साप्ताहिक ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन बैठक कर सीजीडी योजना की प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

11.3 जिला स्तरीय निगरानी समिति -

जिला स्तर पर सीजीडी नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जावेगा -

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	जिला वन अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग	सदस्य
6	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
7	जिला अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश	सदस्य
8	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
9	क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड	सदस्य
10	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	सदस्य सचिव
11	प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य

11.4 बैठकों की अवधिः-

परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठक माह में एक बार या जब भी जरूरत हो, अधिक बार बुलाई जाएगी। समीक्षा बैठक का प्रतिवेदन संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को प्रस्तुत किया जायेगा ।

11.5 जिला स्तरीय समिति के महत्वपूर्ण कार्यः-

संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगी और अपने जिले/क्षेत्र में कार्यान्वित सीजीडी कार्यों की प्रगति की निगरानी करेगी और समय-समय पर संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

समिति के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-

(i) प्राधिकृत इकाई को वर्तमान शासकीय मानदंडों के अनुसार आवश्यक अनुमतियां जारी करने सहित, डीआरएस/पीआरएस/एसआरएस स्टेशन एवं सीएनजी/ एलएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिये आवश्यक शासकीय भूमि पार्सल के आबंटन को सुविधाजनक बनाना।

(ii) प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत पाइपलाइन संरेखण (अलाईनमेंट) में विचारार्थ विभिन्न श्रेणियों के तहत सरकारी भूमि के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना ।

(iii) सीएनजी स्टेशन की स्थापना एवं गैस पाइपलाइन बिछाने की समयबद्ध तरीके से अनुमति/मंजूरी को सुविधाजनक बनाना ।

(iv) प्राधिकृत इकाई द्वारा कस्बों/शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में सीजीडी फील्ड कार्यों का निर्बाध रूप से निष्पादन एवं इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

(v) सार्वजनिक सुरक्षा आदि संबंधित सड़क-स्वामित्व अधिकारियों के परामर्श से और पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित कार्य के सिंक्रनाइज़ेशन के अनुरूप भविष्य में रोड के विस्तार एवं अन्य उपयोगिताओं के साथ सह अस्तित्व संबंधी मुद्दों को सुविधाजनक बनाना।

(vi) विभिन्न हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने के कार्यों, मुख्यतः सड़क काटने और बहाली के कार्य के निष्पादन के दौरान प्राधिकृत इकाई द्वारा अपनाये जाने वाले सभी सुरक्षा मानकों/उपायों से संबंधित मुद्दों का निराकरण करना। यदि जिला प्रशासन को उक्त कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए किसी जनशक्ति की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकृत इकाई अपनी लागत पर उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी ।

(vii) प्राधिकृत इकाई के माध्यम से ईआरडीएमपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन योजना) प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना ।

12. विवाद समाधान-

इस नीति की व्याख्या से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद, मतभेद या दावे की स्थिति में उसका समाधान भारसाधक सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट - एक

पहली अनुसूची

("**आदेश 2026**" का खंड 4(3), 4(6), 4(7) तथा 5(2) देखें)

भाग 1 : आवेदन फीस		
क्रम संख्या	**विषय**	**फीस/प्रभार**
(1)	(2)	(3)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व या नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाली सार्वजनिक इकाईयों से खंड 4 (3) के अधीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन या आवासीय क्षेत्रों के लिए खंड 5 (2)	भूमिगत या ओवरग्राउंड पाइपलाइन के लिए रु. 1000/- प्रति किलोमीटर का एक बार का प्रभार ।

भाग-2 : सार्वजनिक इकाई द्वारा आवेदन पर निर्णय लेने की समय-सीमा		
क्रम संख्या	**विषय**	**समय सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	पाइपलाइन बिछाने के लिए खंड 4 (6) या खंड 5 (2) के अंतर्गत ROW या ROU या अन्य अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन	15 कार्य दिवस ।

परिशिष्ट - दो

दूसरी अनुसूची

(आदेश 2026 का खंड 4(14),4(15), 4(16) और 4 (17), 5(7), 5(9), 5(10), 6(1) और 6(8) देखें)

भाग 1: अनुमति प्रदान करने के लिए प्रभार		
क्रम सख्या	विषय	प्रभार
(1)	(2)	(3)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व, नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाली सार्वजनिक इकाईयों से खंड 4 (14) के अधीन आने वाले रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या भूमि क्षेत्र के लिए कोई अनुमति या आवासीय क्षेत्रों के लिए खंड 5(7) के अधीन अनुमति ।	(क) ROW के लिए 1,000/- रुपये प्रति किलोमीटर (ख) पाइपलाइन से संबधित अन्य सुविधाओं एवं वाल्व चैंबर के लिए दिये गये भूमि के लिए क्षेत्र पर लागू सर्किल रेट का 10 प्रतिशत जो कि 5x10 वर्गफीट से अधिक नहीं होगा ।

भाग-2 : खुदाई और पुनर्स्थापन आधार पर प्रदर्शित बैंक गारंटी					
क्रम सख्या	विषय	प्रभार			
(1)	(2)	(3)			
1.	खंड 4(15), 4(17) या खंड 5(10) के अधीन आवेदन की तिथि को खुदाई और पुनःस्थापन आधार पर किए गए कार्यों के लिए प्रदर्शित बैंक गारंटी की राशि।	क्र.	विभाग	सड़क का प्रकार	बैंक गौरंटी प्रति किलोमीटर (रूपये में)
		1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	राष्ट्रीय राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार
		2	लोक निर्माण विभाग	बस्तर एवं सरगुजा संभाग की सड़के	5000/- रूपये
				बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अतिरिक्त अन्य संड़के	25000/- रूपये
		3	नगरीय प्रशासन विभाग	60 फीट एवं उससे अधिक चौड़ाई	50000/- रूपये
				30-60 फीट चौड़ाई	25000/- रूपये
				30 फीट से कम चौडाई	15000/- रूपये
		4	राज्य शासन के अन्य विभाग	संबंधित विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़के	5000/- रूपये

भाग-3: गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को देय प्रतिकर

क्रम सख्या	विषय	प्रभार
(1)	(2)	(3)
1.	खंड 6(8) के अंतर्गत गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करने (खंड 6(1) के अनुसार प्रस्तुत किया गया) की तारीख को देय प्रतिकर।	एकमुश्त भुगतान की गणना उस भूमि के क्षेत्रफल को उस राशि से गुणा करके की जाएगी, जो भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए लागू सर्किल रेट के दस प्रतिशत (10%) के बराबर हो, जो मार्ग-अधिकार, उपयोग-अधिकार या अनुमति प्रदान करने के विषय से संबंधित है ; परंतुक यदि संबंधित गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति आवेदन प्राप्त होने के चौबीस घंटों के भीतर (खंड 6(1) के अंतर्गत) खंड 6(1) के तहत समझौते में प्रवेश करता है, तो उसे उक्त राशि का दोगुना प्राप्त होगा, अर्थात ऐसी परिस्थितियों में भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए लागू सर्किल रेट के दस प्रतिशत (10%) के बराबर अतिरिक्त राशि संबंधित गैर-सार्वजनिक इकाई या व्यक्ति को दी जाएगी। टीप - यद्यपि आवासीय समितियां RWAs तथा निजी निर्माणाधीन व्यावसायिक आवासीय परियोजनाएं जो RWAs को हस्तांतरित नहीं की गई है वे आदेश 2026 के खंड 5 के अंतर्गत शामिल होंगे और उन्हें किसी भी प्रकार के मुआवजे का अधिकार नही होगा।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मई 2026

File No. GENS-2302/7/2025-FOOD-Part(1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05–05–2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभोर अग्रवाल, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 5th May 2026

NOTIFICATION

File No. GENS-2302/7/2025-FOOD-Part(1). — The State Government hereby notifies the "Chhattisgarh City Gas Distribution Policy 2026" for the expansion of the natural gas network in the state of Chhattisgarh.

Enclosure - As above.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIBHOR AGRAWAL, Deputy Secretary.

Table of contents of the "Chhattisgarh City Gas Distribution Policy 2026"

No.	Description
1	Background
2	Objective
3	Title and effective date
4	Definitions
5	Applicability
6	Eligibility criteria
7	Application by the authorized entity
8	Responsibilities of the authorized entity
9	Provision of CGD network in urban and housing planning
10	Safety measures related to CGD pipeline network
11	Monitoring committee and task force for implementation of policy
12	Dispute resolution
13	Annexure -1
14	Annexure -2

1. Background -

1.1 To meet the increasing energy demand in the state, it is necessary to diversify fuel sources for long-term energy supply, along with increasing the share of clean energy sources in fuel, to ensure continuous fulfillment of domestic, commercial, and industrial energy needs.

1.2 The Government of India has set a target to increase the share of natural gas in the country's primary energy mix from the current 6.2% to 15% by 2030, in order to promote the use of natural gas as a fuel. The Government of India has notified the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) Act, 2006 and the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation, and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order 2026, which provide a legal framework for the development of natural gas pipelines and city or local gas distribution networks.

1.3 The City Gas Distribution project provides the facility of supplying piped natural gas (PNG) to domestic consumers, as well as compressed natural gas (CNG) for commercial, industrial, and transportation use. Additionally, it will also support sustainable industrial development and environmental protection

1.4 The objective of developing the City Gas Distribution project is to increase the availability of clean and safe cooking fuel (PNG) and clean transportation fuel (CNG) for the citizens of the state.

2. Objectives -

The state government considers it necessary, in the public interest, to establish a framework and policy to address issues that hinder the laying of natural gas pipelines, including denial of access to land, delays in approvals, delays in granting right of way or land access, and excessive fees or charges. The main objectives under this policy are as follows:

2.1 To simplify, streamline, and regulate the process of establishing natural gas pipelines in the state.

2.2 To implement a simple and transparent process for granting permission, upon request by an authorized entity, to install natural gas pipelines on government/semi-government and privately owned land in both rural and urban areas.

2.3 To implement a process ensuring that permission for the laying of all types of natural gas pipelines is granted within a stipulated time frame upon application.

2.4 To promote the development of natural gas pipeline infrastructure in remote, hilly, and previously LWE-affected areas of the state.

2.5 To establish natural gas pipelines in rural and urban areas of the state.

2.6 To ensure the provision of natural gas pipelines in areas where it is not available.

2.7 To earmark land/plots for CNG stations in the planning areas of cities and villages proposed under the master plan.

2.8 To determine standard permission fees for road restoration and time-bound approvals in accordance with local conditions.

2.9 To include gas pipeline infrastructure in the architectural design of residential and commercial buildings.

2.10 To issue directions to PWD and other concerned departments to provide for natural gas pipelines in all government/public sector colonies.

3. Title and Date of Enforcement:-

3.1 This policy may be called the "Chhattisgarh City Gas Distribution Policy 2026".

3.2 This policy shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

4. Definitions:-

4.1

(a) "Order 2026" means the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation, and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026.

(b) "State Government" means the Government of the Chhattisgarh.

(c) "Designated Officer" means:

(i) In respect of areas not falling under the jurisdiction of a Municipal Corporation or Urban Local Body, the District Collector or District Magistrate, or any person authorized by the District Collector or District Magistrate for the discharge the duties of the designated officer at the district level under this policy.

(ii) In respect of areas under the jurisdiction of a Municipal Corporation or Urban Local Body, the Municipal Commissioner or Chief Municipal Officer or any person authorized by the District Collector or District Magistrate for the discharge of the duties of the designated officer at the district level under this policy.

(d) "Authorised Entities" means any person

(i) Who is authorised, approved or licensed by the Central Government under the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934);

(ii) Who is laying, building, operating or undertaking expansion of a pipeline to transport petroleum and petroleum products,

(iii) Who is authorised by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (hereafter referred to as the "PNGRB") under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) to lay, build, operate or expand a common carrier or contract carrier natural gas pipeline or a city gas distribution network; or

(iv) Who may be nominated by the Central Government for the purposes of the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Construction, Operation and Extension of Pipelines and other Facilities) Order, 2026 (hereinafter referred to as "Order 2026").

(e) "Dig and pay basis" shall have the meaning as provided in sub-clause (15) of clause 4 ;

(f) "Dig and restore basis" shall have the meaning as provided in sub-clause (15) of clause 4;

(g) "Duct" means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable conduit for a pipeline;

(h) "Housing area" means any area, whether a public area or non-public area, where residential flats or bungalows are developed or are being developed;

(i) "Non-public area" means any immovable property or area that is not a public area and includes any housing area owned or managed by a non-public entity, resident welfare association, or group housing society,

(j) "Overground pipeline" means a pipeline or a network of pipelines, equipment, and its associated facilities that are established or installed either wholly or partially over the ground including any facilities and installations interconnected with a pipeline including those required for change in pressure, which can include pipelines or any other equipment;

(k) "Other facilities" means any facilities or installations required for-

(i) storage of petroleum products, natural gas, liquefied natural gas, or regasification of liquified natural gas,

(ii) storage of compressed natural gas,

(iii) dispensing compressed natural gas;

(iv) de-compressing compressed natural gas and distributing natural gas; or

(v) any other facility or installation required for distributing natural gas or petroleum products.

(l) "Permission" means any permission under any law for the time being in force for the purposes of laying, operation, maintenance or expansion of a pipeline or an overground pipeline or underground pipeline or any of its associated facility;

(m) "Pipeline" means a pipeline or network of pipelines or any constituent of a pipeline or its associated facilities that is used for the purposes of transportation or distribution or supply of natural gas or petroleum products to one or more premises and includes overground pipeline and underground pipeline;

(n) "public entity" means-

(i) Central Government;

(ii) State Governments;

(iii) urban authorities,

(iv) any authority, body, company, agency or institution incorporated or established by or under the control of the Central Government or the State Government or under any statute

(v) district administration, village administration or any office or organisation vested with the authority to regulate development or use of land in any area; or

(vi) any non-public entity vested with the ownership, control or management of any public facility or class of public facilities;

(o) "Public area" means any immovable property or area which is owned by or in the possession of or under the control of management of any public entity;

(p) "Schedule" means the Schedules appended to the Order 2026;

(q) "Underground Pipeline" means parts of a pipeline or a network of pipelines, equipment and its associated facilities, including any facilities for storage of liquefied natural gas, compressed natural gas, petroleum products, established under the ground for the purposes of establishment or maintenance of the pipeline for transportation, including common ducts or conduits or cable corridors, markers, underground pipelines.

(r) "Urban authorities" means the authorities including municipal corporations, municipal councils, development authorities that own public lands or roads that are required to be accessed by authorised entities

(4.2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), or the rules or regulations made thereunder, the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, Natural Gas and Petroleum Products Distribution (By Laying, Construction, Operation and Extension of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026, shall have meaning assigned to them in those Acts, rules, regulations, orders, as the case may be.

5. Applicability:

5.1 A nodal officer shall be designated by each designated officer for the implementation of this policy.

5.2 The designated officer shall exercise the powers conferred under this policy upon an application by an applicant for the establishment and maintenance of underground or overground natural gas pipelines within their area of work.

5.3 Any permission granted under these rules shall not affect any order issued under natural gas pipelines by MoPNG.

5.4 The Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall be the nodal department for the implementation and coordination of this policy.

5.5 To remove difficulties arising in the implementation of the above policy, the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall issue necessary rules, interpretations, clarifications, and directions.

5.6 The designated officer mentioned in the policy shall receive/examine applications for permission for the establishment of the following natural gas pipelines and related facilities within their area of work:

5.6.1 Laying, construction, operation, and expansion of natural gas pipelines or networks of pipelines;

5.6.2 Storage of petroleum products, natural gas, liquefied natural gas, or regasification of liquefied natural gas;

5.6.3 Storage of compressed natural gas;

5.6.4 Distribution of compressed natural gas;

5.6.5 Decompressing compressed natural gas and distributing natural gas, or

5.6.6 Providing or installing any other facility necessary for distributing natural gas or petroleum products.

6. Eligibility Criteria:–

6.1 Any applicant who has obtained permission or a license under the Petroleum Act, 1930 issued by the Government of India, Ministry of Petroleum and Gas, or is an authorized entity under Order 2026, shall be eligible to obtain permission for the establishment of a natural gas pipeline.

6.2 The permission for Right of Way ("ROW") shall remain valid for the duration of the validity of the license of the authorized entity.

6.3 The authorized entity shall be eligible to obtain Right of Way ("ROW") in accordance with the rules of the State Government, within the conditions, provisions, and scope of eligibility of the permission or license obtained from the Ministry of Petroleum and Gas.

7. Application by Authorized Entity:–

7.1 The authorized entity shall submit an application, either in person, or via registered post, or email, or by using a single-window system, for laying of a natural gas pipeline or related facilities at any location.

7.2 For obtaining permission to establish a natural gas pipeline and related facilities in public areas that are not residential areas, the authorized entity shall follow the procedure prescribed under Clause 4 of Order 2026.

7.3 For obtaining permission to establish a natural gas pipeline and related facilities in residential areas, the authorized entity shall follow the procedure prescribed under Clause 5 of Order 2026.

7.4 For obtaining permission to establish a natural gas pipeline and related facilities in non-public areas, the authorized entity shall follow the procedure prescribed under Clause 6 of Order 2026.

7.5 ROU Permission – ROW and ROU permissions for laying pipelines shall be issued by the road-owning department in accordance with the procedures, timelines, and prescribed charges in Annexure I and Annexure II of this Policy.

7.6 The authorized entities shall not damage any road and other public utilities under any circumstances .However if any damage is caused then the authorized entity shall restore and pay charges as mentioned in Part II of Annexure II.

7.7 The time limit and prescribed fee/charges for issuing permissions/NOCs required by the authorized entity shall be as per the Annexure I and Annexure II of this Policy .

7.8 The authorized entity shall attach the following documents along with the application form:-

7.8.1 Authorization letter from PNGRB.

7.8.2 Detailed Project Report (DPR).

7.8.3 Planimetry drawing/route map along with details of pipeline length and road name/type.

7.8.4 Pipeline details, size, thickness, design, etc.

7.8.5 Method of pipeline laying, i.e., open trenching or trenchless method.

7.8.6 Length of pipeline to be laid in different sections of the road for the purpose of preparing the restoration estimate, such as (carriageway, hard shoulder, soft shoulder, and earthen surface, etc.).

7.9 Process for submitting application for permission –

The authorized entity shall submit the application in the following manner:

(i) By personally visiting the office of the public authority through an authorized representative, with acknowledgment of receipt,

(ii) By registered post,

(iii) By email,

(iv) Through the single window portal prescribed by the State Government.

7.10 Deemed Permissions

7.10.1 Permissions relating to pipeline laying, Right of Use, utility crossings and associated works shall be granted or rejected within the timelines specified in Annexure-I and Annexure II of this Policy. Where the concerned authority fails to communicate its decision within the prescribed timelines, the permission shall be deemed to have been granted and the authorized entity shall make the payment of charges as specified in Annexure-I and Annexure II of this policy and be entitled to proceed with execution of works.

7.10.2 In case of deemed permission referred above, the authorized CGD entity shall issue a public notice on its website and in two daily newspapers having wide circulation in the relevant area, in English and Hindi, specifying that deemed approval has been granted clearly communicating the date of filing of the application and the date of such deemed approval and send a copy through registered post and by mail to the concerned authority.

7.10.3 Where an authority proposes to reject an application, reasons for such rejection shall be recorded in writing and communicated to the authorized CGD entity. The authorized entity shall be provided an opportunity to respond within a period of 15 (fifteen) days and the authority shall take a final decision within 07 (seven) days thereafter.No application shall be rejected where no viable alternative route exists for development of CGD infrastructure.

7.11 Single Window System –

The Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection shall develop an online dashboard portal for submission of online applications for the implementation of CGD infrastructure.

The single window online portal shall be developed within a time limit of 02 months from the date of notification of this policy.

8. Responsibilities of the Authorized Entity:-

8.1 The authorized entity shall develop the CGD network in its respective geographical areas in a time-bound manner as per the conditions of PNGRB. If the authorized entity fails to lay the pipeline within the prescribed time limit of 4 months after obtaining permission for laying the pipeline, it shall be liable for penalties as prescribed under Clause 8 of the Order, 2026.

8.2 The authorized entity shall regularly conduct publicity campaigns through media to create public awareness about the benefits of PNG and CNG and to register customers in its authorized geographical areas.

8.3 Authorized entities shall submit online quarterly progress reports of their respective geographical areas to the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection. In addition, the institutions shall comply with the government guidelines issued by the department in public interest.

8.4 Authorized entities shall create awareness among CNG customers at their CNG filling stations to use only standard CNG kits installed in their vehicles through government-authorized retrofitment centers.

8.5 Authorized entities shall carry out the committed Minimum Work Program (MWP) on an annual basis. The annual work progress shall be reviewed by the State Government from time to time.

8.6 Authorized entities shall promote awareness in the districts of the state for operating public and commercial transport vehicles using CNG.

8.7 Authorized entities should create awareness among domestic, industrial, and commercial consumers regarding the use of PNG and CNG.

8.8 Authorized entities shall ensure the safe operation of the CGD network.

9. Provision of CGD network in urban and residential planning:

9.1 The development authorities of the state shall mandatorily include provisions for the CGD network and CNG stations while preparing city/town master plans. The authorized entity shall coordinate with the concerned authorities of its respective geographical areas and work jointly with them for this purpose.

9.2 Urban local bodies shall include provisions for gas pipeline infrastructure along with other utilities while implementing road infrastructure projects and smart city projects.

9.3 The Town and Country Planning Department, Housing Department, etc., shall make necessary amendments in the bylaws at the stage of plan approval to provide gas pipeline infrastructure in residential and commercial buildings, and ensure provisions for PNG connectivity in all government residences, guest houses, and office buildings.

10. Safety measures related to CGD pipeline network:

10.1 The Chhattisgarh State Disaster Management Authority has prepared a District Disaster Management Plan for each district. The district authority shall, in coordination with the authorized entity in its respective geographical area, conduct annual mock drills as per the Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP) to deal with any future incidents in case of gas pipeline leakage/damage. Participation of all concerned departments in this mock drill shall be mandatory.

10.2 After the installation of the gas pipeline network on any road, all other utilities laid thereafter shall be installed at a safe distance from the gas pipeline in accordance with safety standards and necessary protective measures. If other utilities already exist before the laying of the gas pipeline, the authorized entity shall lay the gas pipeline with adequate safety precautions and in compliance with norms.

10.3 If any unauthorized person/entity causes damage to the gas pipeline/installation, the police shall immediately register a case under relevant acts related to gas pipelines and their safety, based on a written complaint by the authorized entity.

10.4 In the event of gas pipeline leakage/damage, emergency response vehicles used by the authorized entity shall be granted the status of emergency vehicles by the Transport Department so that they can reach the site without delay.

10.5 The authorized entity shall install gas pipeline markers along all gas pipeline routes as per government safety rules/standards and ensure their annual maintenance.

10.6 The authorized entity shall conduct regular safety awareness camps/news campaigns in coordination with all local authorities and utility providers to sensitize them about safety aspects related to the gas pipeline network.

10.7 The authorized entity shall take all protective measures to ensure the safety of gas pipelines along roads during operation or maintenance. Similarly, it shall take all protective measures for safe crossings of rivers or canal structures.

10.8 Since gas pipeline leakage may lead to accidents, it shall be mandatory for the authorized entity to obtain third-party insurance and public liability insurance as per prescribed provisions.

10.9 CGS/DCU/LNG hubs shall be declared as prohibited areas.

10.10 CNG mobile cascade carrier vehicles shall be treated as public utility vehicles.

11. Monitoring Committee and Task Force for implementation of the policy

11.1 State Level Monitoring Committee -

A state-level monitoring committee shall be constituted under the chairmanship of the Chief Secretary, which shall simplify the process of CGD network implementation; facilitate the development of CGD infrastructure and related value-added services; and promote ease of doing business through the establishment of appropriate mechanisms and policies.

1	Chief Secretary	Chairperson
2	Secretary in charge, Transport Department	Member
3	Secretary in charge, Water Resources Department	Member
4	Secretary in charge, Public Works Department	Member
5	Secretary in charge, Panchayat and Rural Development Department	Member
6	Secretary in charge, Urban Development and Housing Department	Member
7	Secretary in charge, Revenue Department	Member
8	Secretary in charge, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department	Nodal Officer
9	Commissioner/Director, Town and Country Planning	Member
10	Principal Chief Conservator of Forests, Forest Department	Member
11	Commissioner/Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department	Member Secretary
12	Chairperson, Chhattisgarh Environment Protection Board	Member
13	Representative nominated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board	Member
14	Representative of the Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO)	Member
15	Representative of a Public Sector Oil Company	Member
16	Representative of the Authorized entity	Member

The nodal officer and member secretary of the committee will coordinate with other relevant departments/ministries of the state government as required.

The key functions of the state-level committee will be as follows:

(i) To develop CGD infrastructure across all parts of Chhattisgarh in coordination with various government initiatives.

(ii) To promote the use of PNG and CNG by converting city buses, auto-rickshaws, public transport vehicles, and long-distance buses to CNG.

(iii) To promote the use of PNG and CNG as preferred fuels by consumers across all categories, including industrial and commercial sectors.

(iv) To coordinate with the Government of Chhattisgarh on issues related to safe CNG operations, interfaces concerning safe operations, and issues arising from emergency management.

(v) To ensure ease of doing business in starting CNG operations, by addressing issues related to land allocation, utilities, and infrastructure in alignment with other utility programs such as telecommunications, electricity, water, etc.

(vi) To coordinate with all stakeholders for the rapid implementation of policy objectives.

(vii) To ensure that gas pipeline infrastructure is provided in residential and commercial buildings through appropriate amendments in building plan regulations at the architectural design stage, preparing the building for "Gas In" by the completion of construction.

(viii) To develop appropriate policy guidelines/framework for the allocation/protection of suitable government land for the establishment of CNG stations, including District Regulation Systems (DRS) and Pressure Regulation Systems (PRS).

11.2 State-Level Task Force –

To monitor CGD infrastructure construction, progress of plan implementation, timely resolution of inter-departmental issues, and to provide recommendations to the state-level committee, a state-level task force will be constituted as follows:

1	Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Chairperson
2	Joint Secretary, Panchayat and Rural Development Department	Member
3	Joint Secretary, Transport Department	Member
4	Joint Secretary, Public Works Department	Member
5	Joint Secretary, Water Resources Department	Member
6	Joint Secretary, Urban Administration Department	Member
7	Joint Secretary, Forest and Climate Change Department	Member
8	Director, Town and Country Planning	Member
9	Member Secretary, Chhattisgarh State Food Commission	Member Secretary
10	Representative of the Authorized entity	Member
11	State-level Coordinator, Oil Industry	Member

Weekly online or offline meetings will be held by the state-level task force to review the progress of the CGD scheme.

11.3 District-Level Monitoring Committee -

At the district level, the following district-level committee will be constituted for the implementation of the CGD network -

1	District Collector	Chairperson
2	District Superintendent of Police	Member
3	District Forest Officer	Member
4	Chief Executive Officer, District Panchayat	Member
5	Executive Engineer, Public Works Department/Water Resources Department	Member
6	Commissioner, Municipal Corporation/Chief Municipal Officer	Member
7	District Officer, Town and Country Planning	Member
8	District Transport Officer	Member
9	Regional Officer, Chhattisgarh Environment Protection Board	Member
10	Food Controller/Food Officer	Member Secretary
11	Representative of the Authorized entity	Member

11.4 Periodicity of Meetings:

During the implementation of the project, the District Level Monitoring Committee (DLMC) meetings will be convened once a month or more frequently as required. The report of the review meeting will be submitted to the Director, Food, Civil Supplies, and Consumer Protection.

11.5 Key Functions of the District Level Committee:

Under the chairmanship of the concerned District Collector, the District Level Committee will coordinate with the relevant departments and monitor the progress of CGD activities implemented in their district/area, and will periodically submit a status report to the Director, Food, Civil Supplies, and Consumer Protection.

The main functions of the committee include:

(i) Facilitate the authorized entity in issuing the necessary approvals as per government rules, including allocation of required government land for establishing DRS/PRS/SRS stations and CNG/LNG stations.

(ii) Facilitate the provision of government land under various categories for consideration in the pipeline alignment submitted by the authorized entity.

(iii) Facilitate timely approvals/permissions for the establishment of CNG stations and laying of gas pipelines.

(iv) Ensure the seamless execution of CGD field activities by the authorized entity in different parts of towns/cities/rural areas and resolve related issues.

(v) Facilitate co-existence issues with future road expansion and other utilities in consultation with road ownership authorities and in accordance with the synchronization of works envisioned under the PM Gati Shakti framework.

(vi) Resolve issues related to all safety standards/measures adopted by the authorized entity during pipeline laying works, primarily road cutting and restoration activities. If the district administration requires manpower for supervising these works, the authorized entity will assist in providing suitable manpower at its own cost.

(vii) Ensure the submission of the ERDMP (Emergency Response and Disaster Management Plan) through the authorized entity.

(12) Dispute Resolution:

Any dispute, disagreement, or claim arising from or related to the interpretation of this policy will be resolved by the Secretary in charge, Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department.

Annexure -1

First Schedule

(See clauses 4(3), 4(6), 4(7) and 5(2) of the Order, 2026)

Part- 1 : Fee for application

SL. NO	Subject	Fee/charge
(1)	(2)	(3)
1.	Application for seeking right of way or right of use or any permission under clause 4 (3) from public entities having ownership or control or jurisdiction over public area or clause 5(2)for housing areas.	One time charge -/1000per kilometer for underground pipeline or overground pipeline.

Part-II: Time limit for deciding application by public entity

SL. NO	Subject	Time limit
(1)	(2)	(3)
1.	Application for seeking right of way or right of use or any permission under clause 4(6) or clause 5 (2) for laying pipeline	Fifteen working days.

Second Schedule

(See clauses 4(14), 4(15), 4(16) and 4(17), 5(7), 5(9), 5(10), 6(1) and 6(8) of Order 2026)

Part-I Charge for Granting Permission

SL. NO	Subject	Charges
(1)	(2)	(3)
1.	Grant of right of way or right of use or any permission or land area covered under clause 4 (14) from public entities having ownership or control or jurisdiction over public area or clause 5(7). for housing areas.	(a) Rs. 1,000/- per kilometer for right of way; (b) 10% of the applicable circle rate to the area of granted for valves chamber , usually not greater than 5x10 sq feet;and associated facilities of the pipeline and other facilities.

Part-II: Performance bank guarantee for dig and restore basis

SL. NO	Subject	Charges			
(1)	(2)	(3)			
1.	The amount of performance bank guarantee for works undertaken on dig and restore basis as on the date of the application under clause 4(15), clause 4(17) or clause 5(10).	Sr No	Department	Type of Road	Per km BG in Rs
		1.	NHAI	National Highway	As determined by NHAI
		2.	PWD	Roads in Bastar and Surguja Division	Rs 5000/-
				Roads other than Bastar and Surguja Division	Rs 25000/-
		3.	Urban Administration Department	60 feet and above width	Rs 50,000/-
				30-60 feet width	Rs 25,000/-
				Below 30 feet width	Rs 15000/-
		4.	Other Departments of The State Government	Maintained by the respective Department	Rs 5000/-

Part-III: Compensation payable to non-public entity or individual

SL. NO	Subject	Charges
(1)	(2)	(3)
1.	Compensation payable on the date of the submission of the application (submitted as per clause 6(1) to the non-public entity or individual under clause 6(8).	One-time payment calculated by multiplying the area of land that is the subject matter of grant of right of way or right of use or permission with an amount equal to 10 %of the applicable circle rate for commercial use of the land: Provided that if the relevant non-public entity or individual enters into the agreement under clause 6(1) within twenty four hours of receiving the application under clause 6(1) will receive an amount that would be double the stated amount, that is to say, in such circumstances an additional amount equivalent to 10 % of the applicable circle rate for commercial use of the land shall be paid to the relevant non-public entity or individual. Note: However housing societies ,RWAs and private under construction commercial residential projects not handed over to RWAs will be covered under Clause 5 of Order 2026 and not be entitled for any compensation whatsoever.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.